संख्या-167/2022/1537/22-2-2022-17(504)/2017

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शून्य/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12-04-2022) दिनांक 05.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, ग्राम-बरनावी, थाना-झिझाना, जनपद- मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली का रहने वाला है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 को अपने 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचा, कुल्हाड़ी, तलवार व लाठियों से मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149, 452,147,148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 18 वर्ष, 02 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 01 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, मानसिक स्थिति आपराधिक प्रवृत्ति की होने, बन्दी को आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 को बंदी ने अपने 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक तमंचा, कुल्हाड़ी, तलवार व लाठियों से मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी वीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी वीर सिंह (बन्दी संख्या-15707) पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुक्ति का पात्र नहीं पाते हुए उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-167/2022/1537(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-167/2022/1537/22-2-2022-17(504)/2017

दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, ग्राम-बरनावी, थाना-झिझाना, जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली का रहने वाला है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 को अपने 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचा, कुल्हाड़ी, तलवार व लाठियों से मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149, 452,147,148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 18 वर्ष, 02 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 01 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, मानसिक स्थिति आपराधिक प्रवृत्ति की होने, बन्दी को आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 को बंदी ने अपने 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक तमंचा, कुल्हाड़ी, तलवार व लाठियों से मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये 0.अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी वीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in